उनवानी प्रकरण शिवलाल बनाम कमल वगै मु0न0 76/2024 प्रकरण अ0धा0 251क आर0टी0ए0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251क, प्रार्थना पत्र संख्या –76/2024

उनवान प्रकरण– शिवलाल बनाम कमल वगै0

प्रार्थी की ओर से श्री कैलाश चन्द्र बैंसला एड0

अप्रार्थीगण की ओर से श्री दिनेश चन्द्र शर्मा एड0

<u>प्रा0पत्र अ0धा0 251क आर0टी0ए0</u> दि. 21/07/2025

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अ0धा0 251क रा0का0अ0 हेत पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 380 तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 381, 377, 376 वाके ग्राम नांदरी में होकर रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अ0धा0 251क पेश किए जाने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजिस्टर्ड तामील की गई। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार सिकराय से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तावित रास्ते में निर्माण बाबत रिपोर्ट पेश की इसलिए प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से पुख्ता निर्माण के संबंध में पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि तक आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता भी है तथा तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है इसलिए प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच हेतु रास्ता दिया जावे। अप्रार्थीगण 5 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला-दौसा (राज.)

उनवानी प्रकरण शिवलाल बनाम कमल वगै मु0न0 76/2024 प्रकरण अ0धा0 251क आर0टी0ए0

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, जवाब तहसीलदार सिकराय इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिकराय द्वारा भी अपने जवाब में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 380 रकबा 0.15 है0 में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है तथा मौके पर वादीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 380 में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाता है तो खसरा नम्बर 376 रकबा 1.13 है0 में से 90 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौडाई कुल 360 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 377 रकबा 0.52 है0 में से 46 मीटर लम्बाई तथा 2 मीटर चौडाई कुल 92 वर्गमीटर भूमि तथा खसरा नम्बर 381 रकबा 0.15 है0 में से 42 मीटर लम्बाई तथा 2 मीटर चौडाई कुल 84 वर्गमीटर भूमि अर्थात सम्पूर्ण 536 वर्गमीटर भूमि/0.0536 है0 भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है तथा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट में मौके पर चाहे गए रास्ते का अंकन संलग्न नक्शे में लाल स्याही से किया गया है। तहसीलदार सिकराय के जवाब के बिन्दु संख्या 10 में यह भी अकित किया गया है कि खसरा नम्बर 381 की उत्तरी पश्चिमी सीमा एवं खसरा नम्बर 377 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर प्रस्तावित रास्ते में एक गह कच्ची पाटोर है। इसलिए बिन्दु संख्या 10 में वर्णित निर्माण के संबंध में तहसीलदार सिकराय से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा रिपोर्ट पेश कर यह अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ते में कच्ची पाटोर हटाने की स्थिति में है। प्रस्तावित रास्ते में खातेदारान का किसी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण प्रभावित नहीं होता है तथा कच्ची पाटोर को मौके से हटाने हेतु खातेदारान/मालिक द्वारा सहमति दी गई है। उक्त विवेचन यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 380 तक आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला-दौसा (राज.)

उनवानी प्रकरण शिवलाल बनाम कमल वगै मु0न0 76/2024 प्रकरण अ0धा0 251क आर0टी0ए0

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा0का0अ0 स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 380 वाके रामा नांदरी में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 376 रकबा 1.13 है0 में से 90 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौडाई कुल 360 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 377 रकबा 0.52 है0 में से 46 मीटर लम्बाई तथा 2 मीटर चौडाई कुल 92 वर्गमीटर भूमि तथा खसरा नम्बर 381 रकबा 0.15 है0 में से 42 मीटर लम्बाई तथा 2 मीटर चौडाई कुल 84 वर्गमीटर भूमि अर्थात सम्पूर्ण 536 वर्गमीटर भूमि/0.0536 है0 भूमि भूमि डीएलसी की 02 गुना राशि पर तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश रिपोर्ट तथा रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित प्रस्तावित रास्ता अनुसार उक्त भूमि कुल रकबा 536 वर्गमीटर/0.0536 है0 गैर मु0 रास्ता घोषित की जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की डीएलसी की दो गुना राशि जमा कराने पर उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करें तथा जमा की गई राशि नियमानुसार खातेदारान को देय होगी। तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर निर्णयानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। ..

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा